BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I N D E X

IN

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Principal Secretary, Forest & Environment, Uttarakhand, Dehradun)

(In Compliance to the Hon'ble Tribunal's Order dated 23.10.2024)

IN

O.A. No. 961 OF 2024

Nitin Dev …….Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ……….Respondents

S. No.	Particulars	P. Nos.
1.	Index	
2.	Response Affidavit	
3.	**ANNEXURE-1** Copy of the report dated 16.11.2024	

Dated: /11/2024

Filed By:
Deepak Bora
Advocate
Counsel for the State of Uttarakhand
17, New Lawyers Chambers,
Setalvad Block, Supreme Court of India,
New Delhi, 110001
Mobile No. 9971578987

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Principal Secretary, Forest & Environment, Uttarakhand, Dehradun)
(In Compliance to the Hon'ble Tribunal's Order dated 23.10.2024)

IN

O.A. No. 961 OF 2024

Nitin Dev

.......Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

..........Respondents

Affidavit of Kahkashan Naseem (Female), aged about 44 years, D/o Sh. Abdul Sattar Ansari, presently posted as Additional Secretary, Forest & Environment, Uttarakhand, Dehradun.

(Deponent)

I, the above-named deponent, do hereby solemnly affirm and state on as of:

1. That the deponent is presently posted as Additional Secretary, Forest & Environment, ,Uttarakhand, Dehradun, the State of Uttarakhand has

been arrayed as a Respondent No.1 as such she is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.

2. That on 21.10.2024, after the course of hearing in the present matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to pass certain directions and direct the deponent to file response affidavit The relevant paras of the said Order dated 01.08.2023 are being quoted here for kind perusal of this Hon'ble Tribunal:

"5. In these facts and circumstances, we find it appropriate to implead following as respondents:-

1. State of Uttarakhand through Principal Secretary, Environment Forestry and Climate Change, Dehradun;

2. Uttarakhand Pollution Control Board, through its Member Secretary

3. District Magistrate, Tehri Garhwal

4. Divisional Forest Officer, Tehri Garhwal

5. M/s Osho Gangadham (Janki Kutia), Patha No. 52, Brahmapuri, Tehri Garhwal.

6. Shri. Kaushal Gautam, Additional Advocate General has accepted notices on behalf of respondents 1, 3 and 4. He prays for and allowed three weeks' time and to file reply".

NOTARY ★ STATE OF UTTRAHAND

After receiving the notice issued by this Hon'ble Tribunal in the present matter, a detailed report has been sought by the Forest Department through the Head of the Department. In order of the same the concerned Divisional Forest Officer i.e. the Divisional Forest Officer Narendra Nagar Forest Division Muni-Ki-Reti, Tehri Garhwal vide his

letter 12.01/29-3(3) dated 16.11.2024 had furnished a detailed report in the present matter. Copy of the report dated 16.11.2024, furnished by the Divisional Forest Officer Narendra Nagar Forest Division Muni-Ki-Reti, Tehri Garhwal is being annexed and marked herewith as **ANNEXURE-1.**

3. That as per the report dated 16.11.2024, furnished by the Divisional Forest Officer Narendra Nagar Forest Division Muni-Ki-Reti, Tehri Garhwal, some of the essential facts are quoted here for kind perusal of this Hon'ble Tribunal as follows:

a) *That a lease for 0.2089 Ha forest land in the reserved forest Brahmapuri compartment number-1 under Shivpuri range has been renewed/sanctioned in the name of Vivekanand Das for cottage/Kutiya purpose for 30 years under the prescribed conditions by the Government of India, Ministry of Environment and Forests, letter No. B/Uttaranchal/ 09/137/2001/FC/220, dated 18.06.2001 (Annexure-01) and by Uttaranchal Government, Forest and Environment, vide letter No. 303/7-1-2001-800/1999, dated 30.07.2001 (Annexure-02).*

b) *That in compliance with the order dated 17.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, on 25.09.2024 a joint inspection was carried out of lease no. 52 by a joint team of Revenue and Forest Department. According to the joint inspection report, the total area of leased forest land was found to be 0.4146 Ha, which is 0.257 Ha more than the sanctioned lease area.*

c) *That thereafter, a notice has been issued to Swami Vivekanand Das, Lessee, Lease No. 52 under Section-61A of the Indian Forest (Uttarakhand Amendment) Act, 2001 and the lessee has been directed to submit his stand/counter reply on the matter vide letter no.*

1017/29-3, dated 24.10.2024 (Annexure-03) issued by the Divisional Forest Officer, Narendra Nagar Forest Division.

d) That the Forest Range Officer, Shivpuri Range, in his report dated 16.11.2024 sent vide letter no. 261/29-3 has mentioned that the original lease holder Swami Vivekananda Das (Udayraj Singh) S/o Bhagwant Singh died on 28.06.2011 (copy of death certificate is Annexure-04). And since his death, Prem Chaitanya is illegally in possession of the said leased forest area.

e) That in condition number-2 of the lease renewal sanction order, it is mentioned that ***'even after being leased, the forest land in question will be used by the said proposer only for the stated purpose and the said land or any part of it will not be transferred to any other department, institution or person'****. Thus, it is clear that the lease no. 52 in question cannot be transferred to any other department, institution or person. It is noteworthy that the original lease holder Swami Vivekanand Das died on 28.06.2011, using the lease/reserved forest area in question after his death falls under the category of illegal encroachment, which is a violation of Section 20 of the Indian Forest (Uttarakhand Amendment) Act, 2001 and the provisions of the Forest Protection Act, 1980.*

f) That the Government of Uttarakhand vide letter no. 1125/X-3-21/2(04)2018, dated 14.09.2021 (Annexure-05) has formulated a policy for renewal of leases given on forest land and approval of new leases. In paragraph no. 3.3.3 of the said policy, it has been mentioned that 'Forest land given on lease, whose leaseholder has not used the forest land himself but has sold it to any other person or has sublet/transferred it under any agreement, such leases will not be renewed and the Forest Department/Revenue Department will get the forest land vacated and take it in its possession and criminal cases will be registered against the lessee under the Indian Forest Act, 1927 and Forest Protection Act, 1980'. Thus, it is clear that the original

NOTARY ★ STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

leaseholder Swami Vivekanand Das died on 28.06.2011. and using the leased/reserved forest area in question after his death is a violation of Section 26 of the Indian Forest (Uttarakhand Amendment) Act, 2001 and the provisions of the Forest Conservation Act, 1980.

g) *That in relation to the encroachment in question, Forest range Officer, Shivpuri Range has registered Rajivad (case) No. 09/ Shivpuri/2024-25 under relevant forest laws against Prem Chaitanya who is illegally in possession of the leased/reserved forest land in question and further action is being taken. And at the same time, eviction proceedings are also underway at the division level under Section 61A of the Indian Forest (Uttarakhand Amendment) Act, 2001.*

4. That the State Government has been vigilant on the issue of encroachment on the Forest land for last more than one year and the Government had also launched campaign to remove the encroachments from the forest land across the State. With regard to the present matter, detailed directions have already been issued to the department and the eviction process is being carried out by the department in accordance with law in the present matter.

5. That the deponent undertakes to comply the directions, to be passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter.

NOTARY
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para nos. __________________ of this affidavit are true to my personal knowledge, those of Para nos. ______________________ of this affidavit are based on records, those of Para nos. __________________ of this affidavit are as per

the legal advice received and those of Para nos. ________________ of this affidavit are as per the information received which all I believe to be true. That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

So help me God **DEPONENT**

I, Dharmendra Singh, Section Officer, Forest section-3, Govt. of Uttarakhand, Dehradun, do hereby identify the deponent who has produced the records of the case before me and I am satisfied that she is the same person as alleged.

IDENTIFIER

Solemnly affirmed before me today, the 27 day of November, 2024 at 1 1/2 ~~am~~/pm by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER/NOTARY

NOTARY
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

affidavit is sworn before me by
Kahkashan Naseem
who is identified by Shri Dharmender Singh
at Dehradun on 27-11-24

(SMT. RUKHSANA BAGUM)
Advocate & Notary, Dehradun

R9M 116

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल ।
E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Phone/fax No. – 0135 – 2442052

पत्रांक :-1201 / 29-3(3), दिनांक, मुनि-की-रेती, 16/11/2024 ।

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
पर्यावरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि के संबंध में।

सन्दर्भ :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता Nitin Dev, Deccan Valley Residence, Welfare Society, Tapovan, Tehri Garhwal, Uttarakhand द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि योजित कर मा0 अधिकरण के समक्ष निम्न शिकायत/प्रार्थना की गई है –

Complainant had said that there is Osho Ganga Dham (Janki Kutiya) at Brahampuri which is engaged in a systematic and unethical practice of expending into forest area well beyond the area covered under lease no.52; expansion has been carried out through illegal cutting of trees aimed at enlarging commercial venture; though Osho Ganga Dham is operating as a spiritual Ashram but in fact is functioning like a 2 commercial hotel/resort violation of conditions of lease agreement and Forest Conservation Act, 1980.

उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं दिनांक 24.10.2024 को पारित आदेश के अनुसार निम्न पक्षकारों से तथ्यात्मक रिपोर्ट/प्रति–उत्तर दाखिल करने की अपेक्षा की गई है–

1- State of Uttarakhand through Principal Secretary, Environment Forestry and Climate Change, Dehradun.
2- Uttarakhand Pollution Control Board, through its Member Secretary.
3- District Magistrate, Tehri Garhwal.
4- Divisional Forest Officer, Tehri Garhwal
5- M/s Osho Gangadham (Janki Kutia), Patha No. 52, Brahmapuri, Tehri Garhwal.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.09.2024 एवं दिनांक 24.10.2024 को पारित आदेश के क्रम में प्रश्नगत् प्रकरण के संबंध में निम्न प्रकार अवगत कराना है कि –

1. यह कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/उत्तरांचल/09/137/2001/एफ0सी0/220, दिनांक 18.06.2001 (संलग्नक–01) तथा उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण के पत्र संख्या–303/7–1–2001–800/1999, दिनांक30.07.2001 (संलग्नक–02) से शिवपुरी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन ब्रहमपुरी कक्ष संख्या–1 में 0.2089 हे0 वन भूमि 30 वर्षो के लिए निर्धारित शर्तो के अधीन कुटिया प्रयोजन हेतु विवेकानन्द दास के नाम से लीज नवीनीकृत/स्वीकृत हुई है।
2. यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक17.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 25.09.2024 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा लीज संख्या–52 का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार लीज वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.4146 हेक्टेयर पायी गयी, जो कि स्वीकृत लीज क्षेत्रफल से 0.257 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र है।
3. यह कि उक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या–1017/29–3, दिनांक 24.10.2024 (संलग्नक–03) से स्वामी विवेकानन्द दास, लीजधारक, लीज संख्या–52 को भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा–61क के तहत नोटिस जारी कर प्रकरण पर अपना पक्ष/प्रति–उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है।
4. यह कि वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी रेंज द्वारा अपने पत्रांक संख्या–261/29–3, दिनांक 16.11.2024 से प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मूल लीजधारक स्वामी विवेकानन्ददास (उदयराज सिंह) पुत्र भगवन्त सिंह की मृत्यु दिनांक 28.06.2011 को हो चुकी है **(मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्नक–04)**। तथा मृत्यु के पश्चात से उक्त लीज वन क्षेत्र में प्रेम चैतन्य अवैध रूप से काबिज है।

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND (INDIA)

5. यह कि लीज नवीनीकरण स्वीकृति आदेश की शर्त संख्या–2 में उल्लेख किया गया है कि "लीज पर दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग उक्त प्रस्तावक द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नही किया जायेगा।" इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् लीज संख्या–52 को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नही किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.06.2011 को मूल लीजधारक स्वामी विवेकानन्द दास की मृत्यु हो चुकी है, उनके मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत् लीज/आरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग करना अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा–26 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन है।

6. यह कि उत्तराखण्ड शासन के शासकीय पत्र संख्या–1125/X-3-21/2(04)2018, दिनांक 14.09.2021 (संलग्नक–05) से वन भूमि पर दी गयी लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतुनीति का निर्धारण किया गया है, उक्त नीति के पैरा संख्या–3.3.3 में उल्लेख किया गया है कि "लीज पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीजधारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीजों को नवीनीकृत नही किया जायेगा तथा वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा तथा लीजधारक के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आपराधिक मामले रजिस्ट्रीकृत किये जायेगें।" इस प्रकार से स्पष्ट है कि दिनांक 28.06.2011 को मूल लीजधारक स्वामी विवेकानन्द दास की मृत्यु हो चुकी है, उनके मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत् लीज/आरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग करना, भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा–26 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन है।

7. यह कि प्रश्नगत् अतिक्रमण के संबंध में वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी रेंज द्वारा प्रश्नगत् लीज/आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से काबिज प्रेम चैतन्य के विरूद्ध सुसंगत वन अधिनियमों के तहत राजिवाद संख्या–09/शिवपुरी/2024–25 पंजीकृत कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है। तथा साथ ही प्रभाग स्तर पर भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा–61क के तहत बेदखली की कार्यवाही भी गतिमान है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या :– 1201 /29-3(3) दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनि–की–रेती।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
6. श्री कौशल गौतम, अपर महाधिवक्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती,
टिहरी गढ़वाल।

NOTARY STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

संलग्नक
कृ. आ. क्र. को।
अ. प्र. त. से. (फी)
22-11-2024

552
29-3
22-11-24

संलग्नक-01

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

Phone : 763149, 763148
763147, 763384
Fax No.: 763149
बी- 1/72, सेक्टर 'के' अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Aliganj
लखनऊ-226024
Lucknow-226024

4496 30/6/01

पत्रावली सं० 8बी/उत्तरांचल/09/137/2001/एफ.सी./220
File No.

दिनांक 18.06.2001
Date

सेवा में,

सचिव(वन)
उत्तरांचल शासन
देहरादून ।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्ददास (लीज सं0 52) को 0.2089 हे0 वनभूमि का 30 वर्षों की लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 1940/1।सी-892(टि0) दिनांक 28.05.2001 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग में लाने हेतु भारत सरकार से वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति मांगी गयी है ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2(दो) के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्द दास (लीज नं0 52) को 0.2089 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैर वानिकी कार्यों के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा ।

(3) याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा खाली स्थान पर वृक्षारोपण किया जायेगा ।

(4) लीजधारक द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर खड़े हुए वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा एवं उनकी सुरक्षा की जायेगी ।

(5) याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रखरखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवजन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा ।

...../2

NOTARY PADAM SINGH

§6§ प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा

§7§ राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त यदि हो तो उसका पा किया जायेगा ।

भवदीय

§ जीतेन्द्र कुमार §
उप वन संरक्षक §केन्द्रीय§

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निदेशक§एफ.सी.§, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक लोधी रोड, नई दिल्ली - 3.
2. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इंदिरा नग फारेस्ट कालोनी, देहरादून ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, टिहरी ।
4. आदेश पत्रावली ।

18/6/10

§ जीतेन्द्र कुमार §
उप वन संरक्षक §केन्द्रीय§

NOTARY * GOVT. OF UTTARAKHAND * PADAM SINGH Advocate Reg. No. 18/01/2002 Dehradun District

Attested True Copy
(PADAM SINGH)
Advocate/NOTARY, Dehradun
9/1/2020

संलग्नक–02

संख्या जी०आई०:– 303/7-1-2001–800 / 1999

प्रेषक:–

श्री राजेन्द्र कुमार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल,देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 30-7-2001.

विषय:– जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्द दास (लीज सं० 52) की 0.2089हे० वन भूमि का 30 वर्षों की लीज हेतु नवीनीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:– 12/11सी–892(वि०) दि० 3-7-2001 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वामी विवेकानन्द दास (लीज सं० 52) को 0.2089हे० वन भूमि की लीज का 30 वर्षों हेतु नवीनीकरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/उत्तरांचल/09/137/2001/एफ०सी०/220 दि० 18-6-2001 में प्रदत्त स्वीकृति के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:–

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लीज पर दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग उक्त प्रस्तावक द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावक के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा, प्रस्तावक द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि पट्टाधारक के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि पट्टाधारक को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि पट्टाधारक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो पट्टाधारक के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. [illegible]शित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के [illegible]नों को हानि न पहुंचायें, इसके लिए पट्टाधारक द्वारा उन्हें ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य ईंधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
7. [illegible] भूमि पर यदि कोई वृक्ष खड़े हों और उनका पातन किया जाना आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल [illegible] निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

NOTARY PADAM SINGH

8. प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
9. *प्रश्नगत वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारित कराकर, मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर आवेदक को वनभूमि का कब्जा दिया जायेगा।*
10. प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयरिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89– 3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक– '0070'–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
11. प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।
12. प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा खाली स्थान पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. लीज धारक द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर खड़े हुए वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा एवं उनकी सुरक्षा की जाएगी।

2. यह आदेश वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0– आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

संख्या– 303/7-1-2001-800/1999 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र) बी–1/72, सैक्टर (के), अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, इलाहाबाद।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वनप्रभाग, नरेन्द्रनगर।
6. स्वामी विवेकानन्द दास, ब्रह्मपुरी, पो० तपोवन, टिहरी गढ़वाल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव

NOTARY PADAM SINGH

Attested True Copy

(PADAM SINGH)

9/1/2020

संलग्नक-03

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि–की–रेती, टिहरी गढ़वाल।
E-Mail.- dfonnagar-forest-uk@nic.in Phone/fax No. – 0135 – 2442052

पत्रांक :– 1017 / 29–3 , दिनांक, मुनि–की–रेती, 24/10/2024 ।

स्वामी विवेकानन्द दास,
लीजधारक
लीज संख्या–52, ब्रहमपुरी,
जनपद–टिहरी गढ़वाल।

विषय :– भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा–61क के तहत नोटिस।

आपको सूचित करना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/उत्तरांचल/09/137/2001/एफ0सी0/220, दिनांक 18.06.2001 तथा उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण के पत्र संख्या–303/7–1–2001–800/1999, दिनांक 30.07.2001 से शिवपुरी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन ब्रहमपुरी कक्ष संख्या–1 में 0.2089 हे0 वन भूमि 30 वर्षो के लिए कुटिया प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गयी है।

उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड राज्यादि में दिनांक 17.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 25.09.2024 का राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा लीज संख्या–52 का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपके द्वारा 0.4146 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र पर काबिज है, जो कि स्वीकृत लीज क्षेत्रफल से 0.2057 हेक्टेयर अधिक है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आप 10 दिन के अन्दर प्रश्नगत् प्रकरण पर अपना प्रति–उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरूद्ध भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा–61क के तहत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या :– / दिनांकित।
प्रतिलिपि :– उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी रेंज आप भी प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि–की–रेती,
टिहरी गढ़वाल।

संलग्नक-04

33

मृत्यु प्रमाण - पत्र

मृतक का नाम श्री ...... उदयराजसिंह उर्फ स्वामी विवेकानन्द दास ......
मृतक की आयु ...... 71 ...... वर्ष ......

पुत्र/पुत्री श्री ...... भगवन्त सिंह ...... डाकखाना ...... सोनारी

निवासी ग्राम ...... हरिहरपुर ...... तहसील ...... सीतापुर ...... जिला सीतापुर

थाना ...... कोतवाली सीतापुर ......

मृत्यु का स्थान एवं तिथि ...... हरिहरपुर 28.6.11 ......

मृत्यु का कारण ...... बीमारी से ...... के जन्म/मृत्यु रजिस्टर

यह सूचना ग्राम सभा ...... सोनारी ...... पृष्ठ संख्या ......

भाग ...... की क्रम संख्या ......

पर दर्ज है।

ग्राम विकास अधिकारी
विकास खण्ड ...
जिला सीतापुर

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान का पूरा नाम ......

प्रधान
ग्राम सभा ......

संख्याः ——/X-3-21/2(04)2018

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/ सचिव (प्रभारी),** उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष,** उत्तराखण्ड।
3. **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तराखण्ड।

वन अनुभाग–03 **देहरादूनः दिनांक 14 सितम्बर, 2021**

विषयः–वन भूमि पर दी गयी लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने से पूर्व वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन भूमि पर स्थाई/दीर्घकालीन एवं अस्थाई/अल्पकालीन लीजें स्वीकृत की गई थी। दीर्घकालीन लीजें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती थी व अल्पकालीन लीजें स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती थी। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के उपरान्त कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है। इस विषय पर शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500(826)/2002 देहरादूनः दिनांक सितम्बर, 09, 2005 द्वारा राज्य स्तर पर वन भूमि हेतु लीज नीति निर्गत की गई थी। उक्त लीज नीति को लागू हुए लगभग 16 वर्ष हो चुके है तथा इस मध्य विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं/कार्यों आदि हेतु आवंटित किए गए/किए जाने वाले वन भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों–मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय/मा0 एन0जी0टी0 आदि से कई आदेश/निर्देश होने का संज्ञान हुआ है। जिसके संज्ञान में एवं राज्य की नई आवश्यकताओं के दृष्टिगत उक्त लीज नीति 2005 में यथाआवश्यक संशोधन कर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसे प्रासंगिक बनाया जाना आवश्यक है।

2– वर्ष 1979 से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लीजों के लिए प्रत्येक वृत्त में अलग–अलग दरों से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जाता था व इन दरों में एकरूपता नहीं थी। लीज रेन्ट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–6450/14–3 –930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 जारी किया गया, जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर स्वीकृत की जाने वाली लीजों के समस्त मामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिये जाने का प्राविधान है। उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आरम्भ में लीजधारक को वन भूमि का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेन्ट के रूप में वन भूमि के मूल्य का भुगतान करना होता है।

क्रमशः...........02

3– पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने तथा छोटे लीजधारकों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:–

3.1 लीज़ों का नवीनीकरण :

3.1.1 पेयजल, सिंचाई, गूल, घराट, पंचायत घर, रास्ता एवं विद्यालय जैसे सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों हेतु सरकारी संस्थाओं को दी गई लीज़ों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में निःशुल्क एवं गैर सरकारी/निजी संस्थाओं हेतु रूपये 1.00 वार्षिक लीज़ रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगाः

(एक). सरकारी संस्थाओं यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन इत्यादि विभागों को दी गयी वन भूमि के लीजों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध के वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज रेन्ट लिया जायेगा।

(दो). गैर सरकारी/निजी संस्थाओं को एक हेक्टेअर तक लैण्ड होल्डिंग के लिए रू0 1.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

(तीन). गैर सरकारी/निजी लीजधारकों जिनके पास एक हेक्टेअर से अधिक वन भूमि लीज पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का दो प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा, अर्थात् :–

$$\text{वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)} = \text{जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य} \times \frac{\text{लीज अवधि}}{90}$$

वन भूमि का मूल्य प्रत्येक नवीनीकरण में केवल उतने ही वर्ष का लिया जायेगा, जितने वर्ष हेतु लीज की अवधि होगी एवं प्रत्येक नवीनीकरण में वन भूमि का मूल्य उस समय के बाजार मूल्य के अनुसार संशोधित किया जायेगा।

3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी, गोशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :

(एक). सरकारी संस्थाओं यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन इत्यादि विभागों को दी गयी वन भूमि के लीजों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध के वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज रेन्ट लिया जायेगा।

(दो). गैर सरकारी/निजी लीजधारक जिनके पास 5 नाली (एक हजार वर्ग मीटर) तक वन भूमि लीज पर है, उनसे वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 100.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

क्रमशः........03

(तीन). गैर सरकारी/निजी लीजधारक जिनके पास एक नाली से अधिक वन भूमि लीज़ पर है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का दो प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा। अर्थात वन भूमि का मूल्य प्रत्येक नवीनीकरण में केवल उतने ही वर्ष का लिया जायेगा, जितने वर्ष हेतु लीज की अवधि होगी एवं प्रत्येक नवीनीकरण में वन भूमि का मूल्य उस समय के बाजार मूल्य के अनुसार संशोधित किया जायेगा।

3.1.4 व्यावसायिक प्रयोजन हेतु दी गई दीर्घ कालिक लीज़ों के नवीनीकरण हेतु ऐसे प्रकरण जिनमें वन भूमि का प्रीमियम एकमुश्त लीजधारक द्वारा जमा कर दिया गया हो, उनके लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के धनराशि का पॉच प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा। व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु दी गयी दीर्घकालिक लीजों के नवीनीकरण हेतु ऐसे प्रकरणों, जिनमें वन भूमि का प्रीमियम एकमुश्त लीज धारक द्वारा जमा किया गया हो, तो उसके नवीनीकरण के समय तत्समय के सर्किल रेट को आधार मानते हुए प्रीमियम (प्रोरेटा मूल्य) का निर्धारण नवीनीकरण की अवधि के लिए किया जाएगा तथा पूर्व में लिए गए प्रीमियम की धनराशि से समायोजित करते हुए, यदि कोई अतिरिक्त देय राशि बनती है तो उसे लेने के उपरांत लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। (यथा यदि किसी सम्पति को लीज पर 1930 में 90 वर्ष के लिए दिया गया हो तथा तत्समय सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रीमियम की धनराशि रू0 60.00 लाख एकमुश्त राजकोष में जमा करा ली गयी हो तो यदि 30 वर्षों के उपरांत नवीनीकरण का आवेदन दिया जाता है तो तत्समय प्रोरेटा आधार पर भूमि का मूल्य यदि रू 2 करोड़ बनता है तो रू0 40 लाख (रू0 60 लाख–रू 20 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए रू0 1 करोड़ 60 लाख लेते हुए नवीनीकरण किया जाएगा।)

2– ऐसे व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु दी गयी लीजों, जिनमें वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) केवल लीज अवधि के लिए ही लिया गया था, के नवीनीकरण हेतु प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं उक्त प्रीमियम धनराशि का 5 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लेते हुए नवीनीकरण किया जाएगा।

3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीज़ों का नवीनीकरण वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करके किया जायेगा :

(i) किसी भी धर्मग्रन्थ में वर्णित स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल या ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उस पंथ की श्रद्धा/विशेष स्थल के रूप में चिन्हित किया जा सके, को संरक्षित एवं विकसित करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में वन भूमि पर दी गई लीज़ों का नवीनीकरण निःशुल्क किया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध के वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज रेन्ट लिया जायेगा।

क्रमशः.........04

(ii) जिन लीज़धारकों द्वारा लीज़ का व्यावसायिक उपयोग (पूर्ण एवं आंशिक) किया जा रहा है, उनसे जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज़ अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का दो प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोकोपयोगी मामलों में वन भूमि का मूल्य न लेकर केवल रू0 1.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.1.6 भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यावरण, वन, कृषि, शिक्षा, उद्यान, मृदा एवं जल संरक्षण, औषधीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुड़े गैर वाणिज्यिक संस्थानों को वन भूमि पर दी गई लीज़ों का नवीनीकरण 1.00 रूपये वार्षिक लीज रेन्ट की दर से किया जायेगा।

3.2 <u>नई लीज़ें/स्थानान्तरण</u>

3.2.1 भविष्य में शासकीय, सामुदायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी। आवश्यक प्रयोजनों हेतु सभी पात्र आवेदकों के लिये समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी व्यवस्था से लीज आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

3.2.2 राज्य सरकार के सभी विभागों के गैर व्यवसायी, जनोपयोगी कार्यो यथाः– विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं, औषधालय/चिकित्सालय, विद्युत और दूरसंचार लाइन्स, पेयजल, जल/वर्षा जल हार्वेस्टिंग अवसंरचना, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब स्टेशन, संचार, पोस्ट, सड़क का निर्माण/चौड़ीकरण के साथ ही सड़क के किनारे प्रतिष्ठानों के लिए संपर्क मार्ग, सीमा सड़क संगठन (BRO) के वर्तमान पुलों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण, पुलिस प्रतिष्ठानों जैसे पुलिस स्टेशन/आउटपोस्ट/सीमावर्ती आउटपोस्ट/संवेदनशील क्षेत्रों में टावर्स (गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित), सरकार द्वारा अनुमोदित सामुदायिक शौचालय आंशिक या पूर्णतः वन भूमि में जो एक हैक्टेयर से अधिक न हो, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र और वाटर मिलों में शहरी निकायों द्वारा अनुमोदन के अधीन हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के पश्चात् अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अवधि हेतु वन भूमि का लीज निःशुल्क दिया जायेगा तथा वन भूमि का मूल्य भी नहीं लिया जायेगा। पट्टा प्रदाता एवं पट्टा गृहिता के मध्य अनुबन्ध के वैधानिकता के लिये प्रतिकरात्मक रूप से 1.00 रूपये या गुणांकों में लीज रेन्ट लिया जायेगा। दीर्घकालीन लीज सामान्यतः 30 वर्ष के लिये दिया जायेगा जिसे आवेदक की यथा आवश्यकता/औचित्य एवं सम्यक् परीक्षणोपरान्त 30–30 वर्ष के लिये बढाया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम लीज अवधि 90 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड वन विकास निगम एवं पंचायती राज संस्थाओं को एवं अन्य शासकीय/स्वायत्तशासी निकायों/निगमों को वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं, सड़क निर्माण एवं खनिज के चुगान कार्यों हेतु इन संस्थाओं से वन भूमि का रू0 1.00 वार्षिक लीज रेन्ट की दर से लिया जायेगा एवं वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

क्रमशः.......05

3.2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा वन भूमि पर विकास कार्यों हेतु वन भूमि के हस्तान्तरण के पश्चात रू0 100 प्रति प्रकरण की दर से लीज रेन्ट लिया जायेगा एवं वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक उपयोग हेतु वन भूमि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु रू0 1.00 प्रति नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा एवं वन भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

3.2.5 उपरोक्त प्रस्तर–3.2.2, 3.2.3 व 3.2.4 के सिवाय विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि पर प्रस्तावित निम्नलिखित लीज़ों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का दो प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

(एक). जल विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत पारेषण लाइन्स के निर्माण हेतु।

(दो). जलाधारित उद्योगों यथा–मिनरल वाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु।

(तीन). वन भूमि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न विकासकर्ताओं को वन भूमि लीज पर दी जायेगी, जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित उपक्रमों/संस्थाओं को वरीयता दी जायेगी।

(चार). राज्य में वैकल्पिक ईंधन एवं ऊर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं/संयत्रों की स्थापना हेतु एक एकड़ तक वन भूमि।

3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा वन भूमि को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।

3.3 उल्लंघन/अतिक्रमण के मामले :

3.3.1 लीज़धारक जिनके द्वारा भू–उपयोग में परिवर्तन का वन भूमि का उपयोग लीज के मूल प्रयोजन से इतर कार्यों हेतु किया जा रहा है अथवा लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, ऐसे लीजधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि/90 रूपये प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिए जाने के अतिरिक्त, प्रीमियम का पाँच गुना धनराशि दण्ड स्वरूप वसूल की जायेगी।

3.3.2 जिन लीज़धारकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, ऐसे समस्त प्रकरणों में वन भूमि पर हुये अतिक्रमण को खाली कराये जाने के उपरान्त ही लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जायेगा।

क्रमशः............06

3.3.3 लीज पर दी गयी ऐसी वन भूमि जिसके लीजधारक द्वारा वन भूमि का स्वयं उपयोग न करके किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया है अथवा किन्हीं अनुबन्धों के अन्तर्गत सबलेट/हस्तान्तरित किया गया है, ऐसी लीजों को नवीनीकृत नहीं किया जायेगा तथा वन विभाग/राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को खाली करवाकर अपने कब्जे में लिया जायेगा तथा लीजधारक के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आपराधिक मामले रजिस्ट्रीकृत किये जायेगें।

3.4 <u>विविध</u> :

3.4.1 लीज नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार लीजधारकों द्वारा वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेन्ट की धनराशि जमा कराई जा चुकी है, ऐसे मामलों को पुनः निर्णीत/खोला (reopen) नहीं जायेगा।

3.4.2 शासनादेश संख्या–6450/14–3–930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं शासनादेश संख्या–666/14–2–600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500 (826)/2002, देहरादूनः दिनांकः सितम्बर 09, 2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

3.4.3 उक्त लीज नीति में परिवर्तन–परिवर्धन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से सम्पादित कराये जायेगें।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

<u>संख्याः 1125 X-3-21/02(04)/2018 तद्दिनांकित।</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक **(HoFF),** उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख/अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।